भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान(मानद् विश्वविद्यालय)
ICAR-National Dairy Research Institute (Deemed University)
करनाल, हरियाणा(भारत). पिन-132001.
Karnal, Haryana(India). PIN-132001

(स्थापना अनुभाग-पांच / Establishment Section-V)

फा.सं.: स्था-5/स्था.२२/2022/103 दिनांक :29/4/2022

सेवा में,

सर्वसंबंधित को (संलग्न दस्तावेज में उल्लेखित अनुसार)
(To all concern as mentioned in enclosed document)

महोदय/महोदया,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न पत्र/दस्तावेज सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु देखे।

धन्यवाद ।

संलग्न:उपरोक्तानुसार

भवदीय,

धर्म सिंह मीना
29/04/2022

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि-
1.प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र, राडेअनुसं,करनाल को संस्थान की वेबसाइट के परिपत्र लिंक पर अपलोड करने बावत्।
2.प्रभारी, कम्प्यूटर केन्द्र, राडेअनुसं, करनाल को संस्थान वेबसाइट/ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड हेतु।

स्थापना-5(समन्वय)/Establishment-V(Coordination)
भाकृअनुप-राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान
(मानद् विश्वविद्यालय)
ICAR– National Dairy Research Institute
(Deemed University)
करनाल, हरियाणा/ Karnal-132001, Haryana.

फा.स. स्था.5/एम.एस./2022/103/ दिनांकः-28/04/2022

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय डेरी अनुसंन्धान संस्थान, करनाल के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में निम्नलिखित दुकान किराये के लिए उपलब्ध है इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र श्री डी.एस.मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, स्थापना-5,रा.डे.अनु.सं., करनाल व सदस्य सचिव, दुकान आबंटन समिति के पास दिनांक 10.05.2022 तक भेज सकते है।

क्रम संख्या	दुकान संख्या	प्रयोजन	आवेदन कर्ता को कम से कम तीन वर्ष का संबन्धित प्रयोजन हेतु अनुभव अनिवार्य है।
1.	10	ड्राई क्लीनर	
2.	13	दक्षिण भारतीय खाद्य पदार्थ	

इच्छुक पार्थी अपने पत्र के साथ उक्त प्रयोजन हेतु अपने अनुभव का उचित प्रमाण साथ संगलन करे।

नोट- ईएमडी 100/- रुपये (Bank Demand Draft drawn in favor of ICAR UNIT, NDRI, KARNAL payable at NDRI, Karnal) **आवेदन पत्र के साथ भेजे।**

धर्म सिंह मीना 28/04/2022
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः-

1. निजी सचिव, निदेशक, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, सूचनार्थ हेतु।
2. डॉ. धीर सिंह, अध्यक्ष, दुकान आबंटन समिति, सूचनार्थ हेतु।
3. निदेशक, एन.बी.ए.जी.आर., करनाल परिचालन हेतु।
4. निदेशक, सी.एस.एस.आर.आई., करनाल परिचालन हेतु।
5. निदेशक, डी.डब्लू.आर., करनाल परिचालन हेतु।
6. श्रम कल्याण अधिकारी, राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान सूचना पट हेतु।
7. संस्थान के सभी गेट व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर एक प्रति चिपकाने हेतु।
8. प्रभारी कंप्यूटर केन्द्र को संस्थान की वेबसाइट व ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड पर अपलोड हेतु।

अनुबंध–II

एनडीआरआई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान के आवंटन के लिए नियम और शर्तें

1. प्रारंभिक आबंटन 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा जिसे दुकान के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन आगे की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिसमें विफल रहने पर आबंटी उपरोक्त अवधि के बाद एनडीआरआई प्राधिकारियों को दुकान का शांतिपूर्वक खाली कब्जा दे देंगे।

2. प्राधिकारी आबंटी द्वारा रू0 10,000/– (दस हजार रूपये मात्र) की जमानत कैशियर, एनडीआरआई, करनाल के पास जमा करानी होगी जो आबंटन की समाप्ति पर अथवा दुकान के संतोषजनक स्थिति में खाली करने पर वापस कर दी जायेगी। बहरहाल, राशि को लाइसेंस शुल्क में समायोजित नहीं किया जाएगा और जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. यह कि आबंटी को मासिक बिजली और पानी के बिल के अलावा लाइसेंस शुल्क 3,000 रुपये प्रति माह+जीएसटी का भुगतान संस्थान के अनुरक्षण अभियंता को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक अग्रिम रूप से करना होगा। ऐसा न करने पर 20/– रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त प्रभारित किया जाएगा तथा किराए के भुगतान में चार माह की देरी होने पर बिना किसी सूचना के आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। **(निदेशक द्वारा किराया कभी भी बढ़ाया/घटाया जा सकता है)**

4. निदेशक को देय लाइसेंस शुल्क के सभी बकाया वसूल करने के अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यहां दर्शाई गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर आवंटन को रद्द करने का अधिकार होगा और दुकान को रद्द करने की सूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर आबंटी द्वारा खाली करना होगा।

5. यह कि आबंटी दुकान या इसके किसी भाग को अन्य किसी को किराये पर नहीं देगा।

6. यह कि आबंटी को एनडीआरआई के प्रबंधन की पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप दुकान को साफ रखना होगा।

7. आबंटी को स्वयं स्थानीय प्राधिकारियों से, यदि कोई है, से लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा आबंटी के द्वारा किसी भी प्रकार के नियम के उल्लंघन या उसके दायित्वों के लिए संस्थान किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

8. आबंटिती निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना उक्त परिसर में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन नहीं करेगा।

9. आबंटिती परिसर को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा (सामान्य टूट–फूट को छोड़कर) और नुकसान और मुआवजे की राशि के संबंध में निदेशक, एनडीआरआई का निर्णय अंतिम होगा और इसके लिए संबंधित पक्षों पर पर बाध्यकारी होगा।

10. निदेशक की लिखित पूर्व सहमति के बिना आबंटी उक्त परिसर या उसके किसी भाग को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा और इसके डिफॉल्ट रूप से बेदखली के लिए उत्तरदायी होगा। आबंटिती किसी भी भागीदार का परिचय नहीं देगा और न ही परिसर या उसके किसी हिस्से का कब्जा हस्तांतरित करेगा या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति के साथ परिसर में कारोबार करेगा या उक्त परिसर का आनंद लेने/उपयोग करने के अपने अधिकार के बाद हस्तांतरित, स्थानांतरण, परिवर्तन या अन्यथा नहीं करेगा।

11. आबंटी उक्त परिसर का उपयोग केवल अनुमति दिए गए व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करेगा और उस व्यवसाय तक सीमित रहेगा जिसके लिए दुकान का लाइसेंस दिया गया है। ऐसा करते समय आबंटी उक्त परिसर के सामने वाले बरामदे को साफ–सुथरा रखेगा।

12. आबंटी किसी भी राजनीतिक/संघ आदि उद्देश्य के लिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के किसी अन्य हिस्से के परिसर का उपयोग नहीं करेगा।

13. आबंटिती उसे आबंटित परिसर में कोई छपा हुआ या लिखित नोटिस या किसी भी प्रकार का विज्ञापन, लाइसेंसकर्ता की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना प्रदर्शित नहीं करेगा।

14. आबंटिती नगर निगम के कानूनों और सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अन्य प्राधिकारियों का पालन करेगा और आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारियों से आवश्यक लाइसेंस भी प्राप्त करेगा।

धर्म सिंह मीना
29/04/2022

15. निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल द्वारा निर्धारित दुकान के खुलने और बंद होने के समय (सुबह 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

16. निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल या दुकान आबंटन समिति या किसी भी अधिकृत व्यक्ति को अपने विवेक पर किसी भी समय वस्तुओं का निरीक्षण करने की शक्ति होगी और निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल के अनुमोदन से यदि वे उचित समझें तो सुरक्षा राशि को जब्त करते हुए दुकान आवंटन को रद्द कर सकते हैं।

17. आबंटी को बुलाए जाने पर किसी भी अधिकृत अधिकारी या लाइसेंसकर्ता के सामने खुद को पेश करना होगा।

18. परिसर सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कवर किया गया है, तदनुसार इस अधिनियम के अनुसार सभी निर्णय लाइसेंसधारक पर बाध्यकारी होंगे।

19. यह कि आबंटी को भाकृअनुप/राडेअनुसं के आदेशों का समय–समय पर पालन करना होगा।

20. यदि आबंटी द्वारा ग्राहकों को क्रेडिट दिया जाता है तो एनडीआरआई प्राधिकारी ग्राहकों से किसी भी बकाया राशि की वसूली के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

21. यदि आबंटी संविदा अवधि की समाप्ति से पूर्व संविदा को समाप्त करवाना चाहता है तो वह एक माह का नोटिस देकर ही ऐसा कर सकता है। निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल द्वारा विधिवत गठित दुकान आबंटन समिति के पास बिना किसी सूचना के आबंटी के अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। दुकान आबंटन समिति (एसएसी) ने सिफारिश की है और आबंटी उस खाते पर किसी भी क्षति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

22. अनुबंध की समाप्ति/समापन पर आबंटिती को उसे आबंटित दुकान को तुरंत या निदेशक द्वारा अनुमत अवधि के भीतर खाली करना होगा, ऐसा न करने पर निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल, अपने अधिकारों संस्थान के परिसर में उसके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।

23. अनुबंध की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ठेकेदार को आदेश के निष्पादन के 15 दिनों के भीतर दुकान का काम शुरू करना होगा।

24. अनुबंध की इन शर्तों को शामिल करते हुए आबंटिती को गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर के उचित मूल्य पर एक नियमित समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा।

25. आबंटिती और निदेशक, भाकृअनुप–एनडीआरआई, करनाल के मध्य उपजे किसी भी विवाद के मामले में, इसे मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, जिसे सचिव, आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा मध्यस्थ के निर्णय के बाद नियुक्त किया जाएगा तथा मध्यस्थ के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

26. विज्ञापन निषेध एवं व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण अधिनियम–2003 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के क्षेत्र/परिसर में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पाद की उपलब्धता पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा ऐसी बिक्री लागू जुर्माने (1000 रुपये) के साथ दंडनीय अपराध है। इस तरह के कृत्य की पुनरावृत्ति पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

27. आबंटी सप्ताह में कम से कम 6 (छह) दिन नियमित रूप से दुकान खोलेगा। यदि 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए दुकान को बंद करना जारी रहता है, तो आबंटी के द्वारा दुकान चलाने में गैर–रुचि मानी जाएगी और निदेशक, भाकृ अनुप–एनडीआरआई, करनाल को ऐसे चूककर्ताओं की दुकान के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है।

28. यदि निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर उसे उक्त आबंटन स्वीकार्य है, तो वह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित लाइसेंस डीड और क्षतिपूर्ति बॉन्ड और रु. 100/– के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर वचनबद्धता प्रस्तुत करे।

*****

धर्म सिंह मीना 29/04/2022

Annexure-I

TERMS AND CONDITIONS FOR ALLOTMENT OF SHOP IN NDRI SHOPPING COMPLEX.

1. The initial allotment will be for a period of 3 years which may be extended for further period subject to satisfactory performance of the shop failing which the allottee shall give quiet and and peaceful vacant possession of the shop to the NDRI Authority after of above period.

2. A security of Rs.10,000/-(Rs Ten Thousand only) shall have to be deposited with the cashier, NDRI, Karnal by the allottee which will be refunded on the termination of allotment or vacation of the shop in satisfactory condition. However amount shall not be adjusted towards licence fee and no interest shall be paid on the deposit.

3. That the allottee shall have to pay licence fee Rs 3,000 P.M+GST as applicable (Rs 300/-annual increase) in addition to the monthly electric and water charges bill to the Maintenance Engineer of the Institute in advance by 7th of every month, failing which a penalty @ Rs.20/- per day shall be charges extra upto the date of payment and four months delay in payment of rent shall cause cancellation of allotment without any notice. **(Rent May be increase /decrease by the director any time)**

4. The Director will have the right to cancel the allotment on breach of any of the condition herein mentioned without prejudice to his right to realize all arrears of licence fee due and the shop will have to be vacated by the allotttee within 30 days from the date of cancellation notice.

5. That the allottee shall have no right to sub-let in any way or part with the shop.

6. That the allottee shall have to keep the shop clean to the entire satisfaction of the management of the NDRI.

7. The allottee shall have to obtain the licence. If any from the local authorities himself and the Institute shall not be responsible for any kind of violation of breach of the Rules and the responsibilities on the allottee.

8. The allottee will not carry out any addition/alternation to the said premises without obtaining prior written permission of the Director, ICAR-NDRI, karnal.

9. The allottee shall make good any damage caused to the premises (normal wear and tear being exempted) and the decision of the Director, NDRI regarding damages and the amount of compensation would be final and binding on the parties hereto.

(Contd....page 2)

29/04/2022

10. The allottee shall not permit the said premises or any part thereof being used by any other person for any purpose whatsoever without the previous consent in writing of the Director and in default thereof shall be liable for eviction. The allottee shall not introduce any partner nor shall transfer possession of the premises or any part thereof or otherwise carry on the business in the premises with any other person or assign, transfer, change or otherwise after his right to enjoy/use the said premises.

11. The allottee shall make use of the said premises for permitted business purposes only and restrict to the business for which shop has been licenced. In doing so the allottee shall keep the Varandah in front of the said premises neat and clean.

12. The allottee shall not use the premises of any other portion of shopping complex for any political/union etc. purpose.

13. The allottee shall not exhibit in the premises allotted to him any printed or written notice or advertisement of any kind whatsoever without obtaining prior approval of the licensor in writing.

14. The allottee shall abide by the Municipal laws and other authorities pertaining to provide services and shall also obtain the necessary licence from the competent authorities as may be required.

15. Timing for opening and closing (08:00 AM to 10:00 PM) of the shop as decided by the Director,ICAR-NDRI, Karnal will be strictly observed.

16. The Director,ICAR-NDRI, Karnal or shop allotment committee or any authorized person will have the power to inspect the items at any time on their discretion & can cancel the shop allotment while forfeiting the security money if they deem fit with the approval of the Director,ICAR-NDRI, Karnal.

17. The allottee will have to present himself before the licensor are any authorized officer when called for.

18. The premises is covered under Public Premises (eviction of unauthorized occupants) Act, 1971, accordingly all the decisions as per this act will be binding on the licencee.

19. That the allottee will have to comply with the orders issued by the ICAR/NDRI from time to time.

(Contd....page 3)

29/04/2022

20. That the NDRI authorities do not undertake any responsibility for the recovery of any outstanding dues from the customers in case the allottee gives credit to the customers.

21. If the allottee wishes to get the contract terminated before the expiry of the contract period, he can do so only after giving one month notice. Shop allotment committee, duly constituted by the Director,ICAR-NDRI, Karnal reserves the right to terminate the contract of the allottee without any notice in case the . Shop allotment committee(SAC) so recommends and the allottee shall not be entitled to claim any damage on that account.

22. On the expiry/termination of the contract the allottee will have to vacate shop allotted to him immediately or within a period allowed by the Director, failing which the Director,ICAR-NDRI, Karnal, within his rights can ban the entry of the allottee in the premises of the Institute.

23. After the receipt of the acceptance of the contract the contractor will have to start the working of the shop within 15 days of the execution of order.

24. The allottee shall have to sign a regular agreement on the appropriate value of Non-Judicial Stamp Paper incorporating these terms of contract.

25. In the case of any dispute arising between the allotee and the Director,ICAR-NDRI, Karnal, the same shall be refered to the arbitrator which will be appointed by the Secrtary, ICAR, Krishi Bhavan, New Delhi abd decision of the arbitrater will be final and binding on both the parties.

26. Under the Prohibition of Advertisment and Regulation of Trade and commerce, Production, suplly and Distribution Act-2003, the availability of cigarettes and tobacco product in the area/premises of the University are strictly prohibited and that such sale is offence to punishment with the fine as applicable (Rs.1000). Repetition of such act may attract cancellation of licence.

27. The allottee will regularly open the shop, at least 6 (six) days in a week. If closure of the shop continue for a period of more than 15 days shall lible to be considered non interest in running the shop by the allotee & Director,ICAR-NDRI, Karnal is empowered to cancel the allotment of the shop of such defaulters.

28. In the case the said allotment on the specified terms & conditions are acceptable to him he may furnish the license Deed & Indemnity Bond, and the undertaking, on Non-Judicial Stamp papers worth Rs. 100/- duly attested by appropriate authority.

....

29/04/2022